



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक पाठ्यशा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. in English

(In Figures)

--	--	--	--	--	--	--	--

(In Words) -

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में
शब्दों में

नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी



अंग्रेजी



विषय सामाजिक विज्ञान

परीक्षा का दिन.....

दिनांक

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग गिन में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी (परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Roundoff)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर

संकेतांक

--	--	--	--

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवॉव कागज ही उपयोग में लिया गया है। 161/2017

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलक्यूलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्यामेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
	1.	अशोक के कम्भनदेई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की थी तथा वहाँ भूमि कर की दर $\frac{1}{6}$ से घटाकर $\frac{1}{8}$ कर दी थी। इसलिए यह अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
	2.	जयपुर का जन्तर-मन्तर सवाई जयसिंह द्वारा बनायी गयी सर्वप्रमुख वैद्यशाला है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित कर लिया है।
	3.	आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप निम्न हैं:- (i) अध्यक्षीय लोकतंत्र (ii) संसदीय लोकतंत्र अध्यक्षीय लोकतंत्र का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है तथा संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है।
	4.	इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ निम्न हैं:- (i) इंटरनेट से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (ii) इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है।
	5.	देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाती है।
	6.	भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इसी अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है।

कु.पू.उ.



परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
7.	प्राथमिक क्षेत्र में वे भतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है जैसे - कृषि, खनन, डेयरी इत्यादि।
8.	सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य अनेक वस्तुओं या निश्चित वस्तु समूह की कीमत के औसत स्तर से है। सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं अपितु निश्चित वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है।
9.	काम करने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलना, बेरोजगारी कहलाती है। इसमें उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है।
10.	भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व 1868 ई. में दादा भाई नौरोजी ने किया था।
12.	टांका जल संग्रहण का एक परम्परागत रूप है। इसमें लगभग 5 से 6 मीटर गहरे ञ्ड़े टांके का निर्माण किया जाता है तथा घट व अगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसके अन्दर की ओर सीमेन्ट से लेप किया जाता है ताकि जल का बिसाव ना हो। यह नाड़ी जैसा होता है परन्तु उससे अधिक गहरा होता है। योजना जिसके अन्तर्गत टांके का निर्माण किया गया - "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना"।



प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
13.	व्यवसायिक फसल कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसल का एक रूप है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में या औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, व्यवसायिक फसल कहलाती है। इसे नकदी, औद्योगिक तथा मुद्रादायिनी फसल भी कहा जाता है। व्यवसायिक फसलों के चार उदाहरण निम्न हैं:- (i) गन्ना (ii) कपास (iii) जूट (iv) तम्बाकू
14.	धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं:- (i) लौह धातु प्रधान (ii) अलौह धातु प्रधान (i) लौह धातु प्रधान - इनमें लोहे के अंश की प्रधानता पायी जाती है, अतः ये लौह धातु प्रधान धात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण - लौह अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, मैग्नीज, टिन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, कोबाल्ट
(ii)	अलौह धातु प्रधान - ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, अलौह धातु प्रधान धात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण - सोना, चाँदी, ताँबा, टिन, मैग्नीशियम, सीसा, जस्ता
15.	भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले दो प्रभाव निम्न हैं:- (i) औद्योगिक प्रदूषण में निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायक हैं। अम्लीय वर्षा के कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है,

कु.पु.उ.

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

परीक्षक
प्रदत्त

पेड़-पौधे व सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं।

- (ii) औद्योगिक प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे-
के चर्म रोग, जलन इत्यादि हो जाते हैं। इससे श्वास सम्बन्धी
बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा वातावरण प्रदूषित हो
जाता है।

16. जन्म दर -

किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं
की संख्या व दर किसी देश की जन्म दर कहलाती है।

मृत्यु दर -

किसी देश में एक वर्ष की अवधि में मृत होने वाले लोगों
की संख्या व दर किसी देश की मृत्यु दर कहलाती है।

जन्म दर व मृत्यु दर में असंतुलन के कारण जनसंख्या
में परिवर्तन (कमी या वृद्धि) की स्थिति उत्पन्न हो
जाती है।

17. भारत में पाइप लाइन परिवहन -

भारत में पाइप लाइन परिवहन, परिवहन का एक अत्याधुनिक
तरीका है। इस प्रकार के परिवहन में पाइप के माध्यम
से ही तरल पदार्थों जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि का
सुरक्षित, सुविधाजनक व उचित समय पर परिवहन किया
जाता है। पाइप लाइन परिवहन उन क्षेत्रों में अधिक विकसित
है जहाँ खनिज तेल के भंडार हैं। भारत में पाइप लाइन
परिवहन असम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में साँचौर,
गुडामालानी आदि क्षेत्रों में विकसित अवस्था में पाया
जाता है।



द्वारा अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
	18.	सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे- (i) सड़क पर बांयी ओर चलेंगे। (ii) फुटपाथ व जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे। (iii) यातायात नियमों व सिग्नलों का पालन करेंगे। (iv) सावधानीपूर्वक वाहनों का ध्यान रखते हुए चलेंगे।
	19.	ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम- ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए तीन सिद्धांतों को अपनाया गया है, जिन्हें 3R सिद्धांत भी कहते हैं। ये हैं- (1) कम उपयोग करना- यह 3R का पहला सिद्धांत Reduce है। इसमें वस्तुओं का कम उपयोग किया जाता है। (2) पुनः उपयोग करना- यह 3R का दूसरा सिद्धांत Reuse है। इसमें काम में ली जा चुकी वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जाता है। (3) पुनः चक्रण करना- यह 3R का तीसरा सिद्धांत Recycle है। इसमें अपशिष्ट का पुनः उपयोग करके उसका प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाता है।
	21.	मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन - मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। इस प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख था, जिन्हें तीर्थ कहा गया। मौर्यकाल में राजा पर नियंत्रण के लिए कोई संस्था नहीं थी, फिर भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्यकाल में पहली बार केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुयी। कौटिल्य ने

कृ.पृ.उ.

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

राज्य के सात अंग बताए - राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, सेना व मित्र।

* उपधा परीक्षण -

राजा द्वारा मंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली-भाँति जाँच करने के पश्चात् ही की जाती थी, इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था।

* महामात्र -

अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख था जिन्हें तीर्थ कहा गया। तीर्थ का अध्यक्ष महामात्र कहलाता था।

* समाहर्ता -

समाहर्ता का कार्य वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना व राजस्व एकत्रित करना था।

* सन्निधाता -

इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है था। इसका सम्बन्ध इसका कार्य राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह व अन्नागार बनवाना था।

इसके अतिरिक्त 26 विभागाध्यक्षों का भी उल्लेख था -

1. सीताध्यक्ष (कृषि)
2. पण्यध्यक्ष (व्यापार-वाणिज्य)
3. बन्धनागराध्यक्ष
4. पौतवाध्यक्ष
5. आटविक (वन विभाग का प्रमुख)
6. मुद्राध्यक्ष
7. लक्षणाध्यक्ष (मुद्रा जारी करवाना)
8. विवृताध्यक्ष (चारागाह)
9. लूणाध्यक्ष (बुचड़खाना)
10. सूत्राध्यक्ष (कतारब-बुनारब)

इस प्रकार मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था।

उत्तर-30

7

नामांक

Roll No.

1	5	9	7	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---

S-08-Social Science

माध्यमिक परीक्षा, 2018

SECONDARY EXAMINATION, 2018

सामाजिक विज्ञान

SOCIAL SCIENCE

ब
नी

ओ।

त
ली

नीय



S-08-Social Science



CONFIDENTIAL



Previous Pathshala

CONFIDENTIAL

S-08-Social Science

22. इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान-
इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले व्यक्तियों में मैजिनी प्रमुख था। इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करने में मैजिनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
- ✱ यंग इटली (युवा इटली) की स्थापना-
मैजिनी ने सन् 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की जिसने शीघ्र ही कार्बेनरी का स्थान ले लिया। मैजिनी का मानना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो सम्पूर्ण शक्ति नवयुवकों के हाथों में देनी होगी। वह नवयुवकों पर सर्वाधिक विश्वास करता था। उसने तीन नारे दिए - ईश्वर पर विश्वास रखो, भाईचारे की भावना अपनाओ और इटली को स्वतंत्र कराओ।
- ✱ राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में मैजिनी का योगदान-
मैजिनी ने यंग इटली संगठन के माध्यम से लोगों को इटली के एकीकरण के लिए प्रेरित किया तथा राष्ट्रवादी भावना जागृत की। ज्युपस गैरीबाल्डी के साथ मिलकर उसने नेपल्स व सिसली के इटली में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस प्रकार इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान उल्लेखनीय रहा।

23. सामाजिक लोकतंत्र -
समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य है - सामाजिक समता की स्थापना। सामाजिक लोकतंत्र में समानता के अधिकार का प्रचलन होता है।
सामाजिक लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो तथा समानता के विचार की प्रबलता हो।
- हर्नशा

कृ.पृ.उ.



वास्तव में सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए।

* सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशार्थ-

- (i) सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए।
- (ii) जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर समाज में प्रचलित विरोधाधिकारों की व्यवस्था का अंत होना चाहिए।
- (iii) समाज में सभी व्यक्तियों को प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- (iv) भेदभाव व जाति प्रथा का अंत होना चाहिए।

24. भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में चार तर्क निम्न हैं-

- (i) बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय-
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील स्थिति को दर्शाने वाले कारकों में प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय सर्वप्रमुख कारक हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अति निम्न थी। यह मात्र 3.5% थी। डॉ. राजकुमार ने इसे हिन्दू विकास दर कहा। परन्तु धीरे-धीरे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गयी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को प्रदर्शित करती है।
उसी प्रकार बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाती है।

- (ii) कृषि पर निर्भरता में कमी -
जैसे - जैसे किसी देश की कृषि पर निर्भरता में कमी आती है वैसे-वैसे द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाती जाती है। भारत में स्वतंत्रता के समय 3/4 जनसंख्या रोजगार व जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थी परन्तु धीरे-धीरे कृषि पर निर्भरता में कमी आयी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाती है।
- (iii) तृतीयक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में वृद्धि -
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तृतीयक क्षेत्र का GDP में योगदान अति न्यून था परन्तु वर्तमान में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का GDP में योगदान 85% से अधिक है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाता है।
- (iv) सामाजिक आधार संरचना में सुधार -
भारत की सामाजिक आधार संरचना (बैंकिंग व बीमा प्रणाली, शिक्षा, परिवहन आदि) में निरन्तर सुधार होता जा रहा है। यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाता है।
इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।

25. मुद्रा -

मुद्रा वह मौद्रिक माप वाली वस्तु है जिसे अन्य वस्तुओं व सेवाओं के क्रय के बदले सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वाकर व हार्टले विदर्सी के शब्दों में - "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।"

कु.प्र.उ.

परीक्षक द्वारा
प्रश्न अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

* मुद्रा के तीन प्रमुख कार्य-

(i) मूल्य का भंडार-

मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य मूल्य का भंडारण है। मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक मुद्रा का मूल्य अलग-अलग निश्चित होता है। जितने मूल्य की वस्तु खरीदी जाती है, उतने ही मूल्य वाली मुद्रा विक्रेता को अदा की जाती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के भंडारण का कार्य करती है।

(ii) मूल्य का मापक-

अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अन्य प्रमुख कार्य मूल्य का मापन करना है। मुद्रा मूल्य के मापक के तौर पर कार्य करती है। मुद्रा विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है क्योंकि मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है।

(iii) विलम्बित भुगतानों की माप-

मुद्रा विलम्बित व स्थिर स्थगित भुगतानों की माप के रूप में भी कार्य करती है। इसके द्वारा स्थगित भुगतानों का मूल्य अदा किया जा सकता है। इसी से विलम्बित भुगतानों की कीमत भी अदा की जाती है। इस प्रकार मुद्रा विलम्बित व स्थिर स्थगित भुगतानों की माप होती है।

निष्कर्षतः मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं- मूल्य का भंडारण, मूल्य का मापन व विलम्बित भुगतानों की माप।



प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
26.	उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी वस्तु का जब उपभोक्ता को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह स्थिति उपभोक्ता का शोषण कहलाती है। उपभोक्ता शोषण के चार प्रमुख कारण निम्न हैं- (i) उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी वस्तु के बारे में सम्पूर्ण जानकारी (उत्पादन की विधि, समाप्ति की विधि) प्राप्त नहीं करने पर उसे मिलावटी या कम गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त होती है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। (ii) उपभोक्ता के पर्याप्त जागरूक नहीं होने के कारण भी उपभोक्ता का शोषण होता है। यदि उपभोक्ता को विक्रेता द्वारा कम गुणवत्ता वाली या मिलावटी वस्तु दी जाती है तो उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच में शिकायत करनी चाहिए अन्यथा वह शोषण का शिकार हो जाता है। (iii) उपभोक्ता द्वारा वस्तु की नाप, तौल, मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता आदि की जाँच न करना उपभोक्ता शोषण का कारण है। (iv) समाज के व्यक्तियों का उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध संगठित होकर प्रयास न करना भी उपभोक्ता शोषण का कारण बन जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है।
27.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा व विनायक दामोदर सावरकर का योगदान- (i) श्याम जी कृष्ण वर्मा- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रमुख आन्दोलनकारी थे। उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लन्दन से शिक्षा प्राप्त की। जब वे भारत लौटकर आये तो उन्होंने भारत में अंग्रेजों की दमनकारी व अत्याचारी नीतियाँ देखी,

कु.पु.उ.

वे पुनः लन्दन चले गये तथा वहाँ से उन्होंने क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जारी रखी। उन्होंने लन्दन में "इण्डिया हाउस" की स्थापना की। इस प्रकार के संगठन की स्थापना करने वाले वे पहले भारतीय थे। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से भारतीय क्रान्तिकारियों को संरक्षण प्रदान किया। मदन लाल धींगरा, हरदयाल जैसे क्रान्तिकारी भी इसके सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसके माध्यम से विदेश में आए भारतीयों को प्रतिवर्ष एक-एक हजार रुपये की छ. फैलोशिप प्रदान की। उन्होंने "इण्डियन सोशलिज्म" नामक पुस्तक भी लिखी तथा लन्दन में रहकर वहीं से भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा मूलतः भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात में काठियावाड़ के रहने वाले थे। जब वे पुनः भारत लौटे तो सरकार को उनकी इन गतिविधियों के बारे में पता चल गया। तथा अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनायी परन्तु श्यामजी कृष्ण वर्मा को इस बात का पता चल गया और वे भारत से पेरिस चले गये। इस प्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इण्डिया हाउस की स्थापना कर राष्ट्रवादी गतिविधियों को जारी रखा।

(ii) विनायक दामोदर सावरकर -

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म भागुर नामक स्थान पर महाराष्ट्र में हुआ। उनके राष्ट्रवादी कार्यों को देखकर भारतीय जनता ने उन्हें वीर की उपाधि प्रदान की। उन्होंने फर्ग्युसन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की जहाँ वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्पर्क में आये।

उन्से प्रेरणा लेकर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक टोली बनायी और विदेशी वस्त्रों को जलाकर उनका बहिष्कार किया। उन्होंने अभिनव भारत अभियान की शुरुआत की। वे पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने दो आजीवन कारावास की सजा दी थी। उन्होंने "इण्डियन वॉर ऑफ इण्डिपेंडेन्स" पुस्तक लिखी परन्तु देश भाक्ते को अंत-श्रेत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। फिर भी यह पुस्तक अन्य नाम से प्रकाशित होकर जनता तक पहुँचा दी गयी। उन्होंने 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम को मदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम कहा। 1905 में हुये बंग-भंग का उन्होंने अत्यधिक विरोध किया। उन्हें अण्डमान की कैलुलर जेल में डाल दिया गया। 1934 ई. में उन्हें रत्नागिरी में तजरबन्द रखा गया। इस प्रकार वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजी सरकार का स्वीकार कर राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया।

28. संसद के कार्य व शक्तियाँ -

भारतीय संसद भारत की व्यवस्थापिका का अंग है जो कानून निर्माण करने का कार्य करती है। संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन है। राज्यसभा संसद का द्वितीय व उच्च सदन है। भारतीय संसद को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनमें विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति व अन्य शक्तियाँ प्रमुख हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का विवरण निम्न है -

कु.पू.उ.

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

(1) विधायी शक्ति-

विधायी शक्ति से तात्पर्य संसद की कानून निर्माण सम्बन्धी शक्ति से है। कानून निर्माण के सम्बन्ध में संसद को अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संसद को संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य को भी कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है परन्तु राज्य व केन्द्र में विवाद की स्थिति होने पर के संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। कानून पारित करने के लिए दोनों सदनों का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है।

(2) संविधान संशोधन की शक्ति-

संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन की शक्ति विशेष रूप से संसद को ही प्राप्त है। संसद के दोनों सदन मिलकर सामान्य बहुमत या दोनों सदनों के पृथक् पृथक् $2/3$ बहुमत से अ संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य करते हैं। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय संघ के आठ राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है।

(3) वित्तीय शक्ति -

जनता की प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद में वित्त मन्त्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किए जाने के बाद ही राष्ट्रीय आय व्यय से सम्बन्धित कोई भी

कार्य किया जा सकता है। वितीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं।

- (4) प्रशासनिक शक्ति (कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति) -
प्रशासनिक क्षेत्र में भी संसद मंत्रीमण्डल पर नियंत्रण रखने की शक्ति रखती है। मंत्रीमण्डल अपने पद पर केवल तब तक आसीन रहता है जब तक उसे संसद (लोकसभा) का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रीमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
- (5) निर्वाचक मण्डल के रूप में शक्ति -
संसद के दोनों सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल का गठन करते हैं। इसी प्रकार संसद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी निर्वाचक की शक्ति रखती है।
- (6) अन्य शक्तियाँ -
(i) संसद के दोनों सदनों के सदस्य सामान्य बहुमत से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की शक्ति रखते हैं। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाने की शक्ति संसद के पास है।
(ii) देश में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के 6 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है।

* कार्य -

चूंकि संसद संघीय व्यवस्थापिका का अंग है अतः भारतीय संसद का सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण कर उसे पारित करना है। संसद व राष्ट्रपति की स्वीकृति के बावजूद कोई विधेयक कानून बनता है।

कृ.पृ.उ.



परिष्कारक द्वारा प्रश्न अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर	परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक
	29.	उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ - उच्च न्यायालय भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में पाया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ निम्न हैं - (1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार - भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित किसी भी विवाद को अपने अधीन लेकर उस पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार के मामले की अपील उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी भी एक न्यायालय में की जा सकती है। (2) रिट आधिकारिता - उच्च न्यायालय में किसी भी सामान्य मामले की याचिका दर्ज की जा सकती है। उच्च न्यायालय उस मामले पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षा आदि अनेक विधियों से जांच व सुनवाई करने का अधिकार रखता है। (3) अपीलीय क्षेत्राधिकार - इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक व विशिष्ट मामलों की जांच व सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। दीवानी मामलों में चोरी, डाकू, लुट, फौजदारी मामलों में जमीन, सम्पति, विवाह, तलाक, संवैधानिक	

मामलों में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित मामले आते हैं। उच्च न्यायालय इन मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है।

(4) अभिलेख न्यायालय-

उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय इससे नीचे के स्तर के न्यायालयों में साक्ष्यों के रूप में प्रयुक्त होंगे। यह उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी कहलाता है।

(5) परामर्श सम्बन्धी अधिकार-

भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य को कोई भी निर्णय देने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है।

इस प्रकार उच्च न्यायालय को प्रारम्भिक, रिट, अपील, अभिलेख व परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं।

20. यदि मैं हम्मीर देव चौहान के स्थान पर होती तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति वही नीति अपनानी जो हम्मीर देव चौहान ने अपनायी। मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों को शरण प्रदान कर उनकी अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा करती।

इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में वारणागत की रक्षा करना एक राजा का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए अलाउद्दीन से बगावत

कृ.पृ.उ.

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

करने वाले मुहम्मद शाह को मैं शरण प्रदान कर
उसकी रक्षा करती।

11. एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं उच्च न्यायालय
के लिये निम्न स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करती हूँ-

- (i) उच्च न्यायालय को अपने आकलन के आधार
पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
- (ii) उच्च न्यायालय को अभिलेख के रूप में निर्णय
देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

“समाप्त”

Previous Pathshala